न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/924/2003/उदयपुर</u>

1. मोती पिता गुमानी लाल मृतक जरिये वारिसान–
1/1. भैरू लाल
1/2. चुन्नीलाल
1/3. शान्तीलाल पुत्रगण स्वर्गीय मोतीलाल तेली
1/4. प्रतापी बाई पत्नी स्वर्गीय मोतीलाल तेली
समस्त निवासी गांव हवाला कला पोस्ट बडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
1/5. सुन्दर बाई पत्नी जगन्नाथ तेली निवासी ब्रह्मपोल बाहर मस्जिद के सामने पोस्ट चांदपोल जिला उदयपुर
1/6. झमकु बाई पत्नी प्रताप तेली निवासी ग्राम डबोक पोस्ट डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर
1/7. केसर बाई पत्नी मांगीलाल तेली निवासी ब्रह्मपोल अन्दर, पोस्ट चांदपोल जिला उदयपुर
2. बंशीलाल पुत्र नाथूलाल तेली
3. लक्ष्मीलाल पुत्र नाथूलाल तेली
निवासी हवाला कला तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
4. मोडीलाल पुत्र गोविन्द तेली मृतक जरिये वारिसान–
4/1. पुष्करलाल
4/2. प्रभुलाल पुत्रगण मोडीलाल
4/3. सकु बाई पत्नी मोडीलाल
समस्त निवासी गांव हवाला कला पोस्ट बडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
4/4. कमला बाई पत्नी ऊकार तेली निवासी 104, हर्ष नगर,रामपुरा उदयपुर
4/5. लक्ष्मीदेवी पत्नी भगवानलाल तेली निवासी ग्राम नाई, पोस्ट नाई जिला उदयपुर
4/6. गुड्डी पत्नी मदनलाल तेली निवासी गांव धासाखेडी तहसील मावली जिला उदयपुर
5. मांगीलाल पुत्र नवलराम तेली
6. नन्दा पुत्र उदा तेली मृतक जरिये वारिसान–
6/1. शंकरलाल
6/2. मोहनलाल
6/3. किशनलाल
6/4. बाबूलाल
6/5. हेमराज पुत्रगण नन्दा तेली
समस्त निवासीगण हवाला कलां तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. चम्पासिंह पुत्र उदा राजपूत मृतक जरिये वारिसान–
1/1. तुलसी बाई पत्नी चम्पासिंह राजपूत निवासी हवाला खुर्द पोस्ट बडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
1/2. जमनी बाई पत्नी गोविन्द सिंह पुत्री स्व. चम्पासिंह राजपूत निवासी गांव इसबाल पोस्ट इसबाल जिला उदयपुर
2. श्रीमती मोती बाई बेवा उदा राजपूत निवासी हवाला खुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. परवेज रसीद पुत्र अब्दुल रसीद मुसलमान निवासी 55 प्रगति नगर, उदयपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित

श्री बसन्त विजयवर्गीय, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–3
शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 19.11.2018

द्वारा श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हवाला खुर्द स्थित साबिक खसरा नम्बर 161 रकबा 01बीघा 11बिस्वा व खसरा नम्बर 162/2क रकबा 08बिस्वा, साबिक नक्शें में रास्ते से लगी हुई है। इस भूमि के नये नम्बर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गये व इसके हाल खसरा नम्बर 667 रकबा 0.1700 हेक्टयर, 668 रकबा 0.1450हैक्टयर एवं 670 रकबा 0.0900हैक्टयर वादीगण के नाम दर्ज है किन्तु इसमें 03बिस्वा रकबा कम दर्ज हुआ है तथा जो रकबा दर्ज हुआ है, उसमें साबिक आराजी नम्बर 166 की जमीन मिला दी गयी है व वादीगण की करीब 5-6बिस्वा भूमि को नक्शें के अनुसार प्रतिवादीगण की हाल आराजी नम्बर 669 में मिला दी गई है। वादीगण का कब्जा मौके पर साबिक नक्शें के अनुसार ही है, जिसे हाल नक्शें में सही इन्द्राज किये जाने पर आराजी नम्बर 669 की आधी जमीन वादीगण के नाम दर्ज हो गयी तथा आधी जमीन पर ही वादीगण का पत्थरों का कोट बना हुआ है व आधी जमीन पर थुर की बाढ लगी हुई है, जिस पर वादीगण का 40-50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। नक्शें में गलत इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादीगण जबरन वादीगण का कब्जा हटाना चाहते है। अतः साबिक नक्शें अनुसार हाल नक्शे में भी वादीगण को आराजी नम्बर 669 के आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः तनकियात कायम की गयी। उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-08-2001 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर

दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण की ओर से भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 23-12-2002 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध जवाबदावे एवं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी की है। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण के जवाबदावे में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 161 से बने नवीन खसरा नम्बर 667 व 668 में रकबा कम हुआ है तथा साबिक खसरा नम्बर 162/2क से बने नवीन नम्बर 670 का रकबा करीब समान है जबकि खरा नम्बर 167 नया 669 का रकबा 0.864ऐयर के स्थान पर 0.1400ऐयर बना है। खसरा नम्बर 161/2क (667 व 668, 670) जो वादीगण के है, उसके लगवा खसरा नम्बर 167 नया 669 ही है, जो स्पष्ट नक्शें में दर्शित होता है। उनका कथन है कि कमिश्नर रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादीगण की जमीन कम हुई है। यह प्रतिवादीगण ने अपने बयानों में भी स्वीकार किया है। उनका कथन है कि वादीगण ने अपने अभिवचनों में यह स्पष्ट किया है कि खसरा नम्बर 166 की कुछ भूमि वाद के रकबा 162/2क (670) में मिला दी गयी तथा 162/2क (670) की भूमि खसरा नम्बर 167 (669) में मिला दी गयी। वादीगण के उक्त

अभिवचनों का कोई खण्डन नहीं किया गया है, ना ही साक्ष्य द्वारा प्रतिवादीगण ने खण्डन किया है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 167 व 168 नया खसरा नम्बर 669 व 1071 के मध्य रास्ता निकाला गया है, जिससे रास्ते में गया रकबा कम होना चाहिए। इससे भी स्पष्ट है कि वादीगण की जो भूमि कम हुई वह प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 167 नया 669 में मिलाई गयी है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने कायम की गयी तनकीयात पर विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि सेटलमैन्ट अधिकारियों को पूर्व अंकन में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है तथा न ही रकबे को घटाने व बढाने का कोई अधिकार है। मिलान क्षेत्रफल व नक्शें से यह स्पष्ट है कि भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार से परे नये नम्बरों में भूमि को कम ज्यादा की है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 आरएलडब्ल्यू III राज. पेज 1891 मदनलाल बनाम विधिक उत्तराधिकारी मृतक रामप्रसाद, 2013 आरआरटी I पेज 226 हरीनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य, 2011 सीसीसी II एससी पेज 01 कल्याणसिंह चौहान बनाम सीपी. जोशी व 2015 आरआरटी II पेज 1283 रामचन्द्र बनाम रामनिवास पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि अन्य खसरा नम्बरान 665 व 666 की भूमि भी अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिसके साबिक रकबे की तुलना में वर्तमान रकबा अधिक दर्ज किया है, जिसके बाबत् वादीगण द्वारा वादपत्र में कोई कथन नहीं किया। उनका कथन है कि 04बीघा की 03बीघा 18बिस्वा भूमि नये नम्बरों में होती है, जो 0.8420हैक्टयर भूमि बनती है। अपीलार्थीगण के खाते में वर्तमान खसरा नम्बर में 0.8500हैक्टयर भूमि आयी है। उनका कथन है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 167 व 168 रकबा 01बीघा 02बिस्वा का नया खसरा नम्बर कायम कर रकबा 0.2350हैक्टयर बनाता है तथा उनके खाते इतनी भूमि ही दर्ज की गयी है तथा वादीगण की भूमि से लगती हुई अन्य भूमि प्रत्यर्थी संख्या–3 की नहीं है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण का साबिक आराजी से नवीन खसरा नम्बर में कोई रकबा कम नहीं हुआ है। उनका कथन है कि नया रास्ता साबिक नम्बर 161 से निकाला गया है। आराजी नम्बर 162/1 व 160 विवादित भूमि के उत्तर में है, इसके हाल खसरा नम्बर 665 व 666 बने है, इनके खातेदार काश्तकार को वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनका कथन है कि सेटलमैन्ट के दौरान जो भी मौके पर खेतों की आकृति होती है, उसके अनुरूप ही नया नक्शा बनाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. वादीगण ने अपने वाद में कथन किया है कि ग्राम हवाला खुर्द स्थित साबिक खसरा नम्बर 161 रकबा 01बीघा 11बिस्वा, व खसरा नम्बर 162/2क रकबा 08बिस्वा जो साबिक नक्शें में रास्ते से लगी हुई है, जिसके नये नम्बर जो डाले गये वह प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गये व इसके हाल नम्बर वादीगण के नाम दर्ज है, जो खसरा नम्बर 667 रकबा 0.1700 हेक्टयर, 668 रकबा 0.1450हैक्टयर एवं 670 रकबा 0.0900हैक्टयर है, जिसमें 03बिस्वा रकबा कम दर्ज हुआ है तथा जो रकबा दर्ज हुआ है, उसमें साबिक आराजी नम्बर 166 की जमीन मिला दी गयी है व वादीगण की करीब 5-6बिस्वा भूमि को नक्शें के अनुसार प्रतिवादीगण की हाल आराजी नम्बर 669 में मिला दी है। अतः साबिक नक्शें अनुसार हाल नक्शे में भी वादीगण को आराजी नम्बर 669 के आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या-1 में वादीगण ने कम किया गया रकबा किस आराजी खसरा नम्बर में कितना मिलाया गया है, प्रमाणित नहीं होने से उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया है। तनकी संख्या-2 के निर्णय में वादीगण ने कमी रकबे को प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 669 में मिलना बताया है किन्तु अन्य आराजी नम्बर 665, 666, 1072 , 1073, 671 व 1070 भी इससे लगी हुई भूमि है, हो सकता है कि कमी रकबा अन्य नम्बरों में भी मिला हो। कमी रकबा खसरा नम्बर 669 में मिलाया जाना प्रमाणित नहीं करने से उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की गई है। इसी प्रकार तनकी संख्या-3 से 5 को भी विचारण न्यायालय ने वादीगण के विरूद्ध निर्णीत

किया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी के पडौस अर्थात् लगती हुई अन्य सभी आराजियात को वादपत्र में अंकित नहीं किया तथा स्वयं की खातेदारी के वर्तमान खसरा नम्बर 65 व 666 की भूमि का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें साबिक आराजी की तुलना में वर्तमान खसरा नम्बर का रकबा बढा है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में साबिक खसरा नम्बर 167 की आकृति को भू–प्रबन्ध विभाग परिवर्तित किया गया है परन्तु साथ ही अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 162/2क एवं 161 की आकृति में भी परिवर्तित किया गया है। अतः हाल सेटलमैन्ट में यह आवश्यक नहीं कि खेतों की आकृति गत सेटलमेन्ट में बताई गयी आकृति अनुसार ही हो बल्कि सेटलमैन्ट के दौरान जो भी मौके पर खेतों की आकृति होती है, उसके अनुरूप ही नया नक्शा बनाया जाता है। जहां तक वादीगण अपीलार्थीगण के कुछ खसरा नम्बरान का रकबा कम होने का प्रश्न है, वादीगण के हाल खसरा नम्बर 670 व 667 के उत्तर में आराजी खसरा नम्बर 665 व 666 है, जिसके साबिक खसरा नम्बर 160 व 162/1 का रकबा 01बीघा 10बिस्वा था, जो कि 0.4210 हैक्टयर भूमि बनती है जबकि खसरा नम्बर 665 का रकबा 0.2000 एवं खसरा नम्बर 666 रकबा 0.2450 हैक्टयर कुल 0.4450हैक्टयर दर्ज है, जिससे यह इंगित होता है कि वादीगण की हाल आराजी की कमी खसरा नम्बर 665 व 666 की भूमि में शामिल हो गयी है। इसके साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी से लगते हुए रास्ते में भी परिवर्तन होने से निश्चित रूप से रकबे में अन्तर आयेगा। उक्त से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने तीन खसरा

नम्बरान में रकबा कम होने के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जबकि इन्हीं तीन खसरा नम्बरान के उत्तर दिशा की ओर लगते हुए खसरा नम्बर 665 व 666 में अधिक रकबे के बारे में वादपत्र में कोई कथन नहीं किया क्योंकि इन खसरा नम्बरान में उसका रकबा बढा है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–12–2002 एवं उपखण्ड अधिकारी,

गिर्वा, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-08-2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य